श्रीमती मायावंती

बनाम

श्रीमती कौशल्या देवी

6 अप्रेल,1990

(एस.रंगनाथन और के.एन.साइकिया, न्यायाधीपतिगण)

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियमःधारा 9-संविदा के विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिए वाद- विनिर्दिष्ट निष्पादन को निर्देशित करने में न्यायालय द्वारा ध्यान देने योग्य बिन्दू।

संविदा अधिनियम- क्या कोई वैध और लागू करने योग्य समझौता था-प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाला दायित्व।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम- क्या दस्तावेज प्रदर्श पी डब्ल्यू-11/ए साक्ष्य में स्वीकार्य था?

अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1973 में एक दीवानी मुकदमा उत्तरार्थी के खिलाफ संविदा के विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री के लिए पेश किया गया था एवं वैकल्पिक तौर पर कुल चुकाई गई राशि 16,000/-रूपये एवं 5,000/-रूपये की अग्रिम राशि इस अभिवचन पर चाही गई कि उनके बीच एक अनुबंध दिनांक 16.9.1971 को उत्तरार्थी के साथ 50,000/-रूपये के प्रतिफल पर हुआ था। जिसमें सम्पत्ति के खरीदने के लिए जिसमें 20

एच.पी. की वियुत मोटर के दो पम्प थे। जो वहां स्थापित थी एवं जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से उत्तरार्थी एवं उसकी सौतेली सास श्रीमती लाजवंती के पास था। यह भी तय किया गया था कि यदि श्रीमती लाजवंती विक्रय विलेख के निष्पादन में यदि अनुपस्थित हो तो उत्तरार्थी अपने स्वयं का अाधा हिस्सा इस सम्पत्ति का विक्रय विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर कर सकेगी; इस अनुबंध के आधार पर उत्तरार्थी द्वारा वादी/अपीलार्थी को उसका सम्पत्ति का हिस्सा दिया गया था किन्तु बाद में मध्यस्थता की कार्यवाही उत्तरार्थी एवं उनकी सहधारक श्रीमती लाजवंती के बीच चल रही थी। इसके पश्चात् उत्तरार्थी द्वारा उक्त अनुबंध [जिसे रसीद के तौर पर बनाया गया] एवं इसके पश्चात् अपीलार्थी से अवैध रूप से सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया और अनुबंध के आधार पर विक्रय विलेख का निष्पादन करने से इन्कार कर दिया गया।

प्रत्यर्थी ने इन दलीलों पर वाद का विरोध किया कि वह कभी भी वादी को वाद सम्पत्ति बेचने का इरादा नहीं रखती थी। समझौता केवल एक कागजी लेनदेन था जो उसके सह-भागीदार पर दबाव डालने के लिए किया गया था। समझौते को उचित मुहर वाले कागज पर नहीं लिखा जाना साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य था। समझौता केवल चल सम्पत्ति से संबंधित था क्योंकि कोई अग्रिम धन का भुगतान नहीं किया गया था जैसा कि आरोप लगाया गया था और अंत में यह कि पार्टियों के बीच दिनांक 09.1.72 के

समझौते के अनुसार किया गया था जो दिनांक 16.9.71 को समझौता रद्द हो गया था।

विचारण न्यायालय ने उस समझौते प्रदर्श पी-11/ए को अस्वीकार कर दिया जो अपने आप में उस दावे का आधार था एवं उसे साक्ष्य में अग्राह्य माना एवं वाद को खारिज कर दिया।

पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को मंजूरी दी। विचारण न्यायालय को विधि अनुसार दस्तावेज को जस करने और फिर वाद को आगे चलाने का निर्देश दिया। उत्तरार्थी द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इन आदेशों के परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा वाद का विचारण शुरू से किया गया एवं विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री पारित की गई जिसे अपील में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पुष्ट कर दिया गया। इसके खिलाफ द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि ऐसा कोई लागू कराने योग्य एवं वैध संविदा जैसा कि प्रदर्श पी-11/ए से परिलक्षित है और विशिष्ट अनुतोष की डिक्री के स्थान पर 5000/-रूपये अग्रिम भुगतान की राशि को लौटाये जाने का आदेश दिया गया।

इसलिए वादी द्वारा विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पेश की गई।

उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुये और न्यायलय के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुये अभिनिर्धारित किया गया :-

एक अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन वास्तिविक निष्पादन है। उसकी शतों और शतों के अनुसार अनुबंध का गठन और अदालतें चूक में पक्ष को वही काम करने का निर्देश देती है जो वह अनुबंध के अनुसार करने के लिए अपेक्षित है। अतःअनुबंध की शतों और शतों का निश्चित होना एवं पक्षकारों के बीच आम सहमित होनी चाहिए। अनुबंध की शतों और कण्डिकाआें और पक्षकारों के बीच सहमित का मानस को साबित करने का भार वादी पर था। यदि शतों और शतों अनिश्चित है और पक्षकारों के बीच सहमित का मानस नहीं है तो किसी भी प्रकार का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता क्योंकि वहां कोई संविदा ही नहीं है। [362 डी-ई]

जहां पर मोलभाव किया जाता है वहां न्यायालय को यह निर्धारित करना होता है कि किस बिन्दू पर पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ है। यदि समझौते को रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद होने वाला मोलभाव भी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकरण में प्रतिवादी के पास यह बचाव उपलब्ध था कि कोई संविदा पक्षकारों के बीच सहमति का मानस नहीं बनने के कारण नहीं हुआ। [363 एफ, 364 बी]

विशिष्ट निष्पादन में न्यायालय का क्षेत्राधिकार विवेकीय है। जब कोई वादा वैकल्पिक रूप में किया जाता है और एक विकल्प का निष्पादन किया जाना असंभव हो तो यह प्रश्न कि वचनकर्ता उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है या उसे पूरी तरह से माफ किया जा सकता है या पक्षकारों के मध्य की गई संविदा की प्रकृति और शर्तों एवं किसी वाद की मौजूदा परिस्थितियों से किया जाता है। [362 एफ]

अभिव्यक्ति 'अन्यथा' अग्रिम का भुगतान करें और बाध्य करें। समान राशि को निष्पादन के विकल्प के रूप में व्याख्या करने में सक्षम है। जाहिर है कि अग्रिम राश और क्षतिपूर्ति समान राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन इससे वादे के वास्तविक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। [361 जी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय : सिविल अपील संख्या-4145/1984

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, की नियमित दूसरी अपील संख्या-1498/1982 मे पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 14.02.1984 से

रवि प्रकाश गुप्ता, अरविन्द वर्मा, बहार बुर्की और गोपाल सुब्रमण्यम अपीलार्थी के लिए

आर.एफ.नरीमन, सुश्री माधवी गुप्ता और अशोक कु.गुप्ता प्रतिवादी के

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति के.एन.साइकिया द्वारा पारित किया गया :- यह विशेष अनुमित अपील वादी द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.02.1984 जो नियमित द्वितीय अपील नं. 1498/1982 से व्यथित होकर पेश की गई है। जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को संशोंधित करते हुये विशिष्ट पालन की डिक्री की जगह केवल 5,000/-रूपये की अग्रिम राशि की वापसी की डिक्री पारित की गई है।

इस प्रकरण में जो अपीलार्थी है वह वादी है जिसने दीवानी वाद संख्या195-196/1973 इस अभिवचन के साथ प्रस्त्त किया था कि उन्होंने उत्तरार्थी [प्रतिवादी] के साथ एक अनुबंध दिनांक 16.9.1971 किया था। जिसके द्वारा अचल सम्पत्ति नं. बी-VII-7 (पुराना) जिसका नया नं. बी-VIII-9(नई) है जिसमें दो कोहलूस की 20 एच.पी.की विद्युत मोटर सम्मिलित है, को 50,000/-रूपये के प्रतिफल में क्रय करने का सौदा किया था एवं अग्रिम भ्गतान के रूप में प्रतिवादी को 5,000/-रूपये दिये थे। यह सम्पत्ति प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से उसकी सौतेली सास श्रीमती लाजवंती के साथ सह-स्वामित्व में थी और जिसे विक्रय विलेख के निष्पादन के समय शामिल होना था एवं यदि श्रीमती लाजवंती ऐसा करने में असफल रहती है तो उत्तरार्थी [प्रतिवादी] उस सम्पत्ति में उसके आधे हिस्से को आधे विक्रय मूल्य पर विक्रय करने करने को स्वतंत्र होगी। उत्तरार्थी [प्रतिवादी] द्वारा उस अनुबंध के अनुसार उसके हिस्से की सम्पत्ति का कब्जा वादी अपीलार्थी को दे दिया गया जिसके उपरान्त वादी द्वारा उस सम्पत्ति पर 4,200/-रूपये खर्च कर उसकी मरम्मत कराई गई। उसके पश्चात् उस सम्पत्ति का विभाजन भी उत्तरार्थी [प्रतिवादी] एवं श्रीमती लाजवंती के बीच किया गया। इसके पश्चात् प्रतिवादी द्वारा वादी अपीलार्थी से सम्पत्ति का अवैध रूप से कब्जा ले लिया गया और अनुबंध दिनांक 16.9.1971 के अनुरूप निर्धारित तिथि 26.9.1971 तक वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने से इन्कार कर दिया गया। चूंकि प्रतिवादी एवं सह-स्वामी श्रीमती लाजवंती के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही थी उस दौरान प्रतिवादी द्वारा उक्त अनुबंध [जिसे रसीद माना गया] काे वापस ले लिया गया एवं निर्धारित विक्रय विलेख निष्पादन करने से इन्कार कर दिया गया। वादी द्वारा अधिवक्ता के मार्फत भेजे गये विधिक नोटिस के जवाब में प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचन किया गया कि वह अनुबंध इमारत के बाबत नहीं था और केवल वहां उपस्थित एवं स्थापित मशीन के बाबत था। वादी द्वारा संविदा के विशिष्ट अनुपालन की डिक्री पारित किये जाने की प्रार्थना की गई एवं वैकल्पिक तौर पर 16,000/-रूपये की डिक्री चाही गई जिसमें अग्रिम भुगतान की राशि 5,000/-रूपये भी सम्मिलित थी।

उत्तरार्थी [प्रतिवादी] द्वारा उस वाद को इस आधार पर विरोध किया गया कि अनुबंध को उचित रूप से स्टाम्प किये गये कागज पर नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्म नहीं है। यह भी कहा गया कि वह कागजी सम्वयवहार केवल सह-स्वामी श्रीमती लाजवंती को दबाव में लाने के लिए निष्पादित किया गया था और कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया

गया। यह भी कहा गया कि वह दस्तावेज केवल चल सम्पत्ति के सन्दर्भ में था और पक्षकारों के मध्य हुए समझौते दिनांक 09.01.1972 द्वारा यह अनुबंध रद्द हो गया था।

विचारण न्यायालय में वादी ने मुख्य रूप से प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए पर जिसके द्वारा की गई सम्वयवहार की प्रविष्टि जो याचिका लेखक रजिस्टर में की गई। जब विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.10.1976 के माध्यम से इस प्रदर्श को अनुमित नहीं दी क्योंकि प्रविष्टि उसके मूल दस्तावेज की एक प्रतिकृति थी जिसे अदालत में पेश नहीं किया गया था और इसलिए साक्ष्य में अस्वीकार्य था। वादी की प्नरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय में कानून के अनुसार उक्त दस्तावेज को जप्त करने और फिर मामले में आगे बढ़ने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.7.1977 प्रदर्श पी डब्ल्यू-11/ए की विशेषता बताई है एवं याचिका लेखक रजिस्टर में प्रविष्टि के बारे में यह पाया है कि उसमें सम्वयवहार के सभी विवरण मौजूद है परन्त् यह दस्तावेज ना तो उसकी प्रतिलिपि है और न ही प्रथम दृष्ट्या मूल दस्तावेज की प्रतिकृति है। अतः उत्तरार्थी [प्रतिवादी] द्वारा पेश की गई विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया था

"लेखक के रजिस्टर में प्रविष्टि जिसकी अनुमित उच्च न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज को जप्त किये जाने के अधीन दी गई थी। वह हमारे मत में परिणामी प्रक्रियाओं के तहत साक्ष्य में ग्राह्म होगी। इसका अर्थ यह है कि हम उच्च न्यायालय के आदेश के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगें। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि विचारण न्यायालय जो इस प्रविष्टि पर विचार करती है कि वह इसका ठीक से मूल्यांकन करे और वह न पढ़े जो इसमें नहीं लिखा है और इसे किसी ऐसी चीज के बराबर न समझे जो वह नहीं करता है। प्रविष्टि पर पूरा प्रभाव माना जाए न इससे अधिक और ना इससे कम। "

उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के आलोक में विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री किया एवं उत्तरार्थी [प्रतिवादी] द्वारा प्रस्तुत अपील में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास भी अपील करने में असफल होने के कारण उसके द्वारा नियमित द्वितीय अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया जो कि इस न्यायालय में विवादित निर्णय एवं आदेश है जिसके द्वारा इंगित सीमा तक अनुमित दी गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरार्थी [प्रतिवादी] ने तर्क दिया कि प्रविष्टि पीडब्ल्यू-11/ए को मूल दस्तावेज या उसके समकक्ष के रूप में माना जाना था तो उस पर किसी एक पक्ष यानी प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं थे।

उत्तरदाता के पति के हस्ताक्षर का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रिकाॅर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि उसके पास उसकी और से एक दस्तावेज को निष्पादित करने का अधिकार था और एक पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को दो व्यक्तियों के बीच एक समझौते के रूप मे नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि गवाह द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रविष्टि कमोबेश मूल दस्तावेज का एक उद्धरण था और एक विलेख लेखक द्वारा अपने स्वयं के ज्ञान के अनुसार तैयार किया और बनाया गया था। ऐसा उद्धरण पक्षों के बीच एक समझौते का आधार नहीं बन सकता था जिसे विनिर्दिष्ट अनुपालन के माध्यम से प्रभाव दिया जा सकता था। दोनों दलीलों को उच्च न्यायालय ने यह मानते ह्ये कायम रखा कि प्रविष्टि पीडब्ल्यू-11/ए दस्तावेज से किसी भी अनुबंध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तद्गुसार उच्च न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री को रद्द कर दिया। अपील को स्वीकार कर लिया एवं यह डिक्री पारित की कि अग्रिम राशि के रूप में दिये गये 5,000/-रूपये प्रतिवादी द्वारा वादी को दे दिये जाए।

श्री गोपाल सुब्रमण्यम, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर आलोच्य निर्णय को चुनौती दी गई कि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की अनदेखी की और साथ ही इस न्यायालय के आदेश जो प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए के सन्दर्भ में दी गई। क्योंकि विचारण न्यायालयों के द्वारा दिये गये सभी निष्कर्ष

मुद्दा संख्या-14 पर अपीलार्थी के पक्ष में थे जो कि एक मौखिक समझौता था जिसे उसके अभिवचनों एवं सिद्धांतों के आधार पर रद्द किया जाने के तथ्य को असत्य माना गया। उच्च न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के बाहर नहीं जाना चाहिए था एवं इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए की साक्ष्य में ग्राह्मता पर नहीं जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने ऐसा एक भी कारण नहीं बताया है कि विचारण न्यायालय की डिक्री को क्यों अपास्त किया जाना चाहिए एवं यह भी कहा गया कि प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए को विचारण न्यायालयों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उचित रूप से स्वीकार किया गया था परन्तु उच्च न्यायालय ने उस आदेश की परिधि के बाहर जाकर इसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण को प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए पर आधारित किया और उक्त दस्तावेज के अभाव में भी।

श्री आर.एफ.नरीमन, उत्तरार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उच्च न्यायालय ने डिक्री को सही ढंग से अपास्त कर दिया है क्योंकि विचारण न्यायालय के साथ-साथ निचली अपीलीय न्यायालय केवल इस सवाल से संबंधित थी कि क्या कोई समझौता हुआ था या नहीं। लेकिन इस सवाल से नहीं कि क्या विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री की जानी चाहिए या नहीं। अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए के अस्वीकार्य होने का अर्थ केवल

समझौते के रूप में इसका मूल्यांकन करना था और यह कि मामले की योग्यता पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आधार सही है। अधिवक्ता के अनुसार अगर यह मान भी लिया जाए कि प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए समझौते की एक प्रति थी, यह किसी भी तरह से इसमें मौजूद गर्भित एवं दर्शित किमयों के कारण विशिष्ट अनुपालन करवाए जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता एवं इससे वादी के पक्ष में किसी भी अधिकार का मृजन नहीं होगा। इस अभिवचन के आधार पर हम सर्वप्रथम संविदा के बारे में परीक्षण करेगें।

विनिर्दिष्ट निष्पादन के मामले में यह सुस्थापित विधि है और इस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता कि संविदा का विनिर्दिष्ट निष्पादन कराये जाने के क्षेत्राधिकार का आधार एक वैध एवं लागू किये जाने योग्य संविदा का अस्तित्व में होना है। अनुबंध का संविदा की विधि का आधार संविदा करने की स्वतंत्रता के आदर्श पर आधारित है और उन सीमित सिद्धांतों को प्रदान करना है जिसके अन्तर्गत पक्षकार स्वयं के संविदा करने के लिए स्वतंत्र हों। जहां एक वैध और लागू करने योग्य संविदा नहीं किया गया है वहां न्यायालय उनके लिए संविदा नहीं करेगी। विनिर्दिष्ट निष्पादन का आदेश नहीं किया जाएगा यदि संविदा स्वयं किसी दोष से ग्रस्त है जो संविदा को अवैध और अप्रभावी बनाये। न्यायालय का विवेकाधिकार होगा भले ही संविदा अन्यथा वैध और लागू करने योग्य हो और यह संविदा का कोई उल्लंघन होने से पहले भी विनिर्दिष्ट निष्पादन की डिक्री पारित कर

सकता है, इसिलए पहले यह देखना आवश्यक है कि क्या कोई वैध और लागू करने योग्य संविदा हुई है और फिर इससे उत्पन्न होने वाली प्रकृति और बाध्यता को देखना आवश्यक है।

श्री स्ब्रमण्यम का यह तर्क है कि एक मौखिक समझौता था। विवाद्यक संख्या-1 यह था कि "क्या पक्षकारों के बीच दिनांक 16.9.1971 का बिक्री का वैध अन्बंध था। यदि ऐसा है तो इसकी शर्ते क्या थीं?" विवायक संख्या-14 यह था कि "क्या पक्षकारों के बीच दिनांक 12.9.1971 को बिक्री का समझौता था, यदि ऐसा है तो इसकी शर्तें क्या थीं ?" विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या-1 का फैसला वादी के पक्ष में स्नाया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि दिनांक 16.9.1971 का समझौता साक्ष्य में ग्राह्म नहीं था कि इसे अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखा गया था और न ही वादी प्रतिवादी द्वारा उक्त समझौते की सामग्री को साबित करने और स्थापित करने के लिए कोई द्वितीयक साक्ष्य प्रस्त्त किया जा सकता था। प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि वह कभी भी वादी को वाद संपत्ति बेचने का इरादा नहीं रखती थी और न ही वादी द्वारा इसे खरीदने का इरादा था, और यह कि 16.09.1971 दिनांकित समझौता एक कागजी लेनदेन था जिसे याचिकाकर्ता के पति मास्टर कस्तूरी लाल द्वारा सुझाए गए संपति के दूसरे सह-हिस्सेदार लाजवंती पर दबाव डालने के लिए अस्तित्व में लाया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रदर्श पीडब्लू-11/ए, को आधार माना और न्यायालय ने कहाः

"प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील अपीलार्थी बहुत न्यायसंगत/स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया और इस सन्दर्भ में यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकरण के फैसले के लिए आधारभूत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श पीडब्लू-11/ए है जिसे वादी उत्तरार्थी द्वारा विक्रय अनुबंध दिनांक 16.09.1971 को माना गया जिसका विनिर्दिष्ट निष्पादन उसके द्वारा पेश किये गये वादपत्र में चाहा एवं लागू किया गया है।"

जबिक श्री सुब्रमण्यम यह दावा करते है कि पक्षकारों के मध्य किये गये पत्राचार से व्यापक रूप से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी/उत्तरार्थी द्वारा संविदा की स्वीकारोक्ति दिखाई पड़ती है। प्रतिवादी की ओर से श्री नरीमन का खण्डन यह है कि ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं थी और दूसरी तरफ प्रतिवादी द्वारा दिये गये बयानों से यह लगता है कि जो उसने संविदा के बाबत दावा किया था उसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि मुख्य रूप से तथ्य का सवाल है, लेकिन वकील के अभिवचनों को देखते हुए, हमने खुद अभिलेख पर मौजूद पत्राचारों पर गौर किया है। अभिलेख पर सबसे पहला पत्र प्रतिवादी कौशल्या देवी को वादी मायावंती के वकील एल.के. सिंघल का है और लाजवंती ने अन्य बातों के साथ यह भी कहा है

कि दिनांक 16.09.1971 को कौशल्या देवी एक कारखाना भवन और दो गेहूं पीसने वाली मशीन, दो कोहलू तेल निकालने के लिए, 20 एच.पी. की एक विद्युत मोटर, विद्युत कनेक्शन और उनके और कौशल्या के स्वामित्व वाले अन्य आवश्यक सामान और सहायक उपकरण कौशल्या देवी ने इमारत और मशीनरी को बेचने के लिए एक समझौता 50,000/-रूपये के प्रतिफल पर किया और उस समय अग्रिम रूप में 5,000/- रूपये अग्रिम के तौर पर अनुबंध के निष्पादन के समय प्राप्त किये। किसी भी प्रकार की चूक होने के मामले में उसके मुवक्किल को यह अधिकार था कि वह न्यायालय के हस्तक्षेप से विक्रय विलेख का निष्पादन करवा सके और यदि लाजवंती द्वारा विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर न किये जायें तो कौशल्या देवी अपने आधे हिस्से की हद तक उसका निष्पादन करा सकेगी और यह भी कि विक्रय विलेख का निष्पादन दिनांक 26.9.1971 तक किया जाना था और यह कि उसका मुवक्किल तैयार था और अपने हिस्से का निष्पादन करने के लिए तैयार एवं तत्पर था।इसके पश्चात् कौशल्या देवी को विक्रय विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण मायावंती के पक्ष में करने के लिए कारखाना के आधे हिस्से के बाबत बुलाया गया चूंकि उनका मुवक्किल सदा से ही एवं अभी भी संविदा के अपने हिस्से के निष्पादन के लिए तैयार एवं तत्पर था।प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता हर किशन लाल सोनी के माध्यम से दिनांक 29 दिसम्बर, 1971 को लिखे गये पत्र के माध्यम से उक्त पत्र का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि मायावंती एक कारखाने को खरीदने

के लिए सहमत हो गई थी जिसमें एक आटा मिल, दो कोहलू, एक 20 एच.पी. बिजली कनेक्शन था जो संपत्ति इकाई संख्या में स्थापित था।बी-VII-7 (पुराना नम्बर), बी-VIII-9 (नया नम्बर) गोकल रोड,लुधियाना पर स्थित है जो इमारतों को छोड़कर सड़क के किनारे स्थित है और 20 एच.पी. विद्युत मोटर को 50,000/-रूपये की पूर्ण कीमत प्राप्त होने पर करने के लिए राजी था। जबिक उनके मुविक्कल अनावश्यक तौर पर यह चाह रहे थे कि उसमें भवन और 20 एच.पी. की विद्युत मोटर भी सौदे में सम्बन्धित है।लाजवंती के अधिवक्ता श्याम लाल कत्याल ने वादी को लिखे अपने पत्र में बताया कि कौशल्या देवी को लाजवंती के हिस्से की सम्पत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं है।मायावंती के वकील ने सुखपत राय वाधरा को लिखे अपने पत्र में कहा कि प्रतिवादी ने संपत्ति इकाई नं. बी-VII-7 (पुराना नम्बर), बी-VIII-9 (नया नम्बर) एक आटा मिल, दो कोहलों,20 एच.पी. कारखाने के कनेक्शन और सड़क के किनारे खड़े एक लकड़ी के केबिन के साथ बेचने का अनुबंध किया था और यह कि उसका उसकी "बहन लाजवंती" के साथ विभाजन के कारण एक विक्रय विलेख को दिनांक 26.09.1972 को या उससे पूर्व निष्पादित किया जाना था और वह ऐसा करने में विफल रहने पर मायावंती को बेचने के समझौते के विनिर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार था और इसलिए उसे संपत्ति नं. बी-VII-7 (पुराना नम्बर), बी-VIII-9 (नया नम्बर) श्री सोनी ने अपने पत्र दिनांक 23.7.1973 के द्वारा श्री वाधरा को लिखा कि समझौता इमारत और मोटर के बिना था

और यह कि मूल समझौते पर संदेह था कि वह अक्षेपित था और इसी वजह से वादी द्वारा उसे प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि प्रतिवादी द्वारा चाहा गया था। श्री वढेरा द्वारा दिनांक 3 अगस्त,1973 को श्री सोनी को लिखे पत्र में यह कहा गया था कि समझौता इमारत और उसमें मौजूदा मशीनरी के लिए था और समझौते को कभी भी मौखिक रूप से रद्द नहीं किया गया था। श्री अहलूवालिया के अगले दिनांकित 06.09.1973 पत्र में, प्रतिवादी के वकील ने दोहराया कि 16.09.1971 दिनांकित समझौता केवल कारखाने के लिए था और इमारत के लिए नहीं था और वादी भुगतान के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता था। इस पत्र में यह भी कहा गया था कि समय संविदा का सार था और यदि मायावंती ने समाप्ति तिथि 26.09.1971 के बाद कोई बकाया अग्रिम राशि का भूगतान किया था, तो प्रतिवादी को उसे जप्त [Forfeit] करने का अधिकार था। इस प्रकार, भले ही विक्रय विलेख को दिनांक 26.09.1971 तक निष्पादित किया जाना था, लेकिन इसके बह्त समय के उपरान्त यह मुकदमा दिनांक 31.07.1973 को दायर किया गया था।

यदि उपरोक्त पत्राचार सही थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनुबंध संपत्ति के पूरे या आधे हिस्से के विकल्प में था और यह कि प्रस्ताव और स्वीकृति एक दूसरे के अनुरूप नहीं थी। यह सुस्थापित विधि है कि यदि कोई संविदा की जानी है तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रस्तावक का इरादा स्वीकृति के तथ्य या प्रस्ताव की शर्तो के साथ स्वीकृति की शर्तो के संयोग के बारे में संदेह के लिए जगह छोड़े बिना व्यक्त किया जाना चाहिए। नियम यह है कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए और प्रस्ताव की शर्तो के अनुरूप होनी चाहिए। यदि बेचे जाने वाली संपत्ति के संबंध में दोनों के मन समरूप समान नहीं थे, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिए कोई संविदा की गई थी। यदि पक्षकारों के मन संविदा की विषय वस्तु के संबंध में समरूप समान नहीं थे तो न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन का आदेश नहीं दिया जा सकता। यदि वादी इमारत को शामिल करने की शर्तो पर स्थिर था लेकिन प्रतिवादी की समझाअनुसार यदि इमारत और तथाकथित ज्ञापन जो प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए ने इमारत का उल्लेख नहीं किया तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष कोई भी संविदा नहीं है जिसका विनिर्दिष्ट निष्पादन कराया जा सके। जबकि श्री सुब्रमण्यम का तर्क यह है कि भूमि को भी शामिल किया गया था, श्री नरीमन द्वारा यह विदित किया गया है कि भूमि का उल्लेख कहीं भी प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए में नहीं है। यह सत्य है कि विवाद्यक संख्या-2 और 3 यह थे कि क्या प्रतिवादी ने समझौते के अनुसार वादी को संपत्ति का अधिकार दिया और क्या प्रतिवादी द्वारा कब्जा अवैध रूप से लिया गया था, और क्या विचारण न्यायालय को कोई स्वतंत्र सबूत नहीं मिला और कस्तूरीलाल द्वारा यह स्वीकार किया गया कि कब्जे दिलाये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थी। हालांकि कस्तूरीलाल को दिए गए एक सुझाव के आधार पर कि "यह कहना गलत था कि कोई भी सामान, यानी बोरे, तेल, खाल,

कब्जे में था, उस समय कारखाने की इमारत से मरम्मत के लिए निकाला गया था। विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि कब्जा सौंपा गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इसे "एक महत्वपूर्ण और भौतिक सुझाव" के रूप में लिया और निष्कर्ष को बरकरार रखा। स्वीकृत रूप से स्थिति यह है कि वाद दायर होने के समय कब्जा प्रतिवादी के पास था और कब्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसलिए, इस अनुमानित निष्कर्ष का विषय वस्तु एवं संविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जो कि प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए के विरूद्ध है और जिस पर वादी द्वारा बहुत अधिक बल दिया गया है।

श्री सुब्रमण्यम द्वारा फिर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए के आधार पर वादी को विनिर्दिष्ट निष्पादन कराये जाने का अधिकार है जिसे उचित रूप से स्वीकार किया गया था और यह कि भले ही इसे विचार से बाहर रखा गया था, फिर भी नोटिस, अभिवचन और साक्ष्य पर भी वादी डिक्री पाने का हकदार था और उच्च न्यायालय को उस प्रदर्श को अस्वीकार्य ठहराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरूद्ध जाकर कोई व्यवस्था नहीं देनी चाहिए थी और उनके द्वारा अनुबंध दिनांक 16.09.1971 के ग्राह्म होने के बिन्दू पर कोई फैसला नहीं दिया। हमारे समक्ष श्री सुब्रमण्यम ने तर्क दिया कि प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए या तो एक प्राथमिक साक्ष्य था या मूल का एक द्वितीयक साक्ष्य था और इसकी जब्ती मामले के उद्देश्य के लिए इसके आंतरिक मूल्य को दर्शाती है।

हस्ताक्षर अस्वीकार नहीं किए गए थे। विचारण न्यायालय ने इसे उचित रूप से समझौते के रूप में माना और लिखित बयान में, प्रतिवादी ने इसी स्वीकार्यता पर आपित जताई ना कि इसमें वर्णित अभिलेखों पर। श्री नरीमन ने हमसे चाहा है कि हम प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए के आधार पर प्रकरण का विचारण करें जिसे प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

प्रदर्श पीडब्ल्यू-11/ए क्रम संख्या-871 दिनांकित 16.09.1971 के स्तंभो में 1971 के लिए याचिका लेखक, लुधियाना, आत्मा राम गुप्ता का रिजस्टर और इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

इसे कॉलम 4 और कॉलम 3 में 5,000/-रूपये की "रसीद" के रूप में शैलीबद्ध किया गया हैं लेखक का नाम और पता श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी धरम देव, लुधियाना, गोकल रोड, मोहल्ला कोठी मेघ सिंह। उस पर 10 नए पैसे की मुहर लगी हुई है। लेखक के हस्ताक्षर कॉलम संख्या 8 में अंग्रेजी में किये गये हैं और कौशल्य देवी की दाहिने हाथ की अंगूठा निशानी है और अंग्रेजी में कस्तूरी लाल के हस्ताक्षर हैं। इसमें इसके लेखक आत्मा राम गुप्ता, याचिका लेखक, लुधियाना दिनांक 21.11.1971 के हस्ताक्षर है। गवाहों के लिए लेखन और पते में कॉलम विवरण के तहत,

"श्रीमती मायावंती पत्नी मास्टर कस्तूरी लाल, लुधियाना और उसका एक कारखाना, आटा मिल, तेल निकालने के लिए दो

'कोहलूस' हैं। मैं और श्रीमती लाजवंती विधवा बारू राम ने चालू हालत में 20 एच.पी. कनेक्शन की एक विद्युत मोटर गोकल रोड पर पूरब में अमर सिंह, पश्चिम में मनसा राम, रामजी दास, उत्तर में एक सड़क है, दक्षिण में एक गली है। इन सभी को बेचने के लिए तय किया गया है,50,000/-रू.और 5,000 रूपये अग्रिम के रूप में लिए जाते हैं। शेष राशि पंजीकरण के समय ली जाएगी। पंजीकरण खरीदार की खर्चे पर किया जाएगा। यह खरीदार के नाम पर होगा या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर जो उसके द्वारा दिनांक 26.09.1971 तक इंगित किया जाए। यदि किसी अन्य व्यक्ति का इस पर कोई अधिकार या भार हो तो अग्रिम राशि और मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। अगर लाजवंती इन बिक्री विलेखों पर हस्ताक्षर नहीं करती है, तो में मेरे दो शेयर में से एक का विक्रय विलेख निष्पादित करूंगी अन्यथा अग्रिम राशि और मुआवजे की राशि समान मूल्य में दूंगी। खरीदार अग्रिम राशि ले सकता है।

गवाहः धर्म देव, जिसने रसीद है उसके पित निवासी लुधियाना, कोठी मेघ सिंह, गोकल रोड। तारसम कुमार गुप्ता, डाक टिकट विक्रेता, खन्ना जिला, जिला लुधियाना, मोहल्ला हकीम रेहतुल्ला, कुचा काका राम हाउस संख्या 2713(9) "

स्वीकृत रूप से गवाहों के बयान लिये गये और उनसे इस प्रदर्श पर जिरह भी की गई एवं अपीलार्थी ने इसके आधार पर हमारे सामने तर्क दिया।

श्री नरीमन द्वारा बताए गए त्र्टियों में यह कहा गया है कि श्रीमती पत्नी स्वामी मास्टर कस्तूरी लाल को कारखाने, आटा मिल और तेल निकालने के लिए दो कोहलूओं के मालिक के रूप में बताया गया है। मायावंती जो वादी अपीलार्थी है उसे इच्छित खरीदार के रूप में न कि संपत्ति के स्वामी के रूप में बताया गया है। मालिक और विक्रेता उत्तरार्थी / प्रतिवादी कौशल्या देवी थीं। इसमें कहीं भी भूमि और भवन का उल्लेख नहीं है और इसमें केवल सम्पत्ति का नम्बर अंकित है। बेशक कारखाने, आटा मिल की सीमाएं दी गई हैं। श्री स्व्रमण्यम द्वारा यह कहा गया कि विवरण में भूमि निहित थी। श्री नरीमन सहमत नहीं होंगे। इसमें कहा गया है: "यदि लाजवंती द्वारा इस विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं तो मैं अपने दो शेयरों में से एक का विक्रय विलेख को निष्पादित करूंगी अन्यथा अग्रिम और मुआवजे को समान राशि में वापस कर दूंगीं। खरीदार अग्रिम राशि ले सकता है। समझौते पर इस कथन का कानूनी प्रभाव क्या है? यहां तक कि यह मानते हुए कि स्वामी के रूप में मायावंती के नाम का अंकन एक गलती थी और कारखाने ने उस भूमि को भी निहित किया जिस पर वह खड़ा था, सवाल यह है कि क्या यह एक वैकल्पिक वादे के बराबर है। हैल्सबेरी के लॉज ऑफ इंग्लैंड के चौथे संस्करण में खण्ड 9, वैकल्पिक वादों पर कण्डिका 446 हम पढ़ते हैं:

"जब कोई वादा वैकल्पिक रूप में किया जाता है और एक वैकल्पिक निष्पादन करना असंभव है तो सवाल यह है कि क्या वचनदाता दूसरे कार्य को करने के लिए बाध्य है या पूरी तरह से है माफ किया जाना पक्षों के इरादे पर निर्भर करता है संविदा की प्रकृति और शर्तो से पता लगाया गया और विशेष मामले की परिस्थितियां। सामान्य परिणाम में ऐसा मामला यह होगा कि वचनदाता को निष्पादन करना होगा वैकल्पिक जो संभव है; लेकिन यह हो सकता है कि अनुबंध का उचित निर्माण यह नहीं है वैकल्पिक तरीकों से निष्पादित किया जाना है जब तक कि वचनदाता दूसरे तरीके से प्रतिस्थापित करने का विकल्प चुनता है, जिस स्थिति में, प्राथमिक दायित्व बाधित किया जा रहा है, वचनदाता बाध्य नहीं है दूसरे पक्ष के लाभ के लिए विकल्प का प्रयोग करे।"

वर्तमान मामले में इस सिद्धांत को लागू करने पर और प्रदर्श पीडब्लू-11/ए के उचित विवेचना पर क्या यह अर्थ लगाया जा सकता है कि वैकल्पिक तरीकों से निष्पादित करने के लिए एक दायित्व नहीं था, लेकिन एक दायित्व को एक तरीके से निष्पादित किया जाना था, जब तक कि वचनदाता दूसरे तरीके से प्रतिस्थापित करने का विकल्प नहीं चुनता? दूसरे शब्दों में, प्राथमिक दायित्व असंभव होने के कारण क्या वचनदाता दूसरे पक्ष के लाभ के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए बाध्य था? यह समझना उचित होगा कि यदि लाजवंती विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करने में विफल रहती है तो वचनदाता या तो अपने हिस्से के संबंध में विक्रय विलेख को निष्पादित करेगा, या वैकल्पिक रूप से, उसी राशि में अग्रिम और मुआवजे का भुगतान करेगा, और खरीदार को अग्रिम लेना होगा। लाजवंती ने अपना हिस्सा बेचने से इनकार कर दिया, तो पहला विकल्प असंभव हो गया। तब सवाल यह था कि क्या दूसरा विकल्प स्वचालित रूप से आएगा या विक्रेता द्वारा या तो अपना हिस्सा बेचने या अग्रिम और उसी राशि में मुआवजे का भुगतान करने का विकल्प सुरक्षित रखा गया था। यदि पहला विकल्प विफल रहा तो वचनदाता दूसरे विकल्प के पक्ष में फैसला करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके तहत किसी भी दायित्व का कोई उल्लंघन हुआ था। समझौता, और यदि ऐसा था, तो संविदा के विनिर्दिष्ट निष्पादन का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था।

प्रदर्श पीडब्लू-11/ए को दूसरे कोण से देखते हुए यह प्रकट होता है कि भुगतान किया जाना निष्पादन के बदले एक विकल्प था। हेल्स बुरिज लॉज ऑफ इंग्लैंड के खंड 44 के पैराग्राफ 417 में हम पाते हैं कि निष्पादन के विकल्प के रूप में भुगतान से संबंधित है।

"ऐसे मामले हैं जहां न्यायालय संविदा के परीक्षण पर यह पाती है कि पक्षकारों की मंशा यह है कि कोई कृत्य संविदा के पक्षकार द्वारा किये जायें या किसी निर्धारित राशि का भुगतान उनके द्वारा किया जाये जिससे संविदा के पक्षकार के पास यह विकल्प हो कि या तो वे वह कृत्य करें जिसकी उन्होंने संविदा की है या विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करें, ऐसी संविदा जो कि वैकल्पिक है जिसमें किसी कृत्य के किये जाने या उसके बदले राशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख हो। न्यायालय यह मानेगा कि यह निष्पादन किये जाने या वैकल्पिक रूप से राशि का भुगतान किये जाने के अभिवचन हैं। जहां विनिर्दिष्ट निष्पादन निर्देशित किये जाने से गैर-युक्तियुक्त परिणाम हों।"

यह अभिव्यक्ति 'अन्यथा समान राशि में अग्रिम और मुआवजे का भुगतान करें' निष्पादन के विकल्प के रूप में राशि के भुगतान के रूप में व्याख्या करने में सक्षम है। बेशक अग्रिम राशि और मुआवजे के लिए निर्धारित राशि को समान राशि माना गया था। लेकिन इससे वादे के वास्तविक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम संविदा में अनिश्वितता के एक अन्य तत्व या द्विअर्थी होने का भी उल्लेख कर सकते हैं उस सूरत में जो यहां घटित हुई है जैसा कि लाजवंती का अपनी सम्पत्ति में अपने हिस्से को देने से इनकार करना। प्रदर्श पीडब्लू-11/ए का यह कहना है कि, उस स्थिति में, कौशल्य देवी को "मेरे दो शेयरों में से एक" के विक्रय विलेख को निष्पादित करना चाहिए। अंश अपरिभाषित है और आधे हिस्से के लिए विक्रय विलेख का प्रतिफल भी अनिर्दिष्ट है। यह महत्वपूर्ण है क्यूंकि सम्पत्ति के कुछ हिस्से कोहलुस, आटा मिल आदि की स्थिति के कारण समान रूप से मूल्यवान नहीं हैं। यह सच है कि अंततः कौशल्या देवी और लाजवंती के बीच विभाजन हो गया और विक्रेता को उस हिस्से को तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी जो उसे कौशल्या देवी द्वारा बेचे जाने के लिए सहमत आधे हिस्से के लिए आना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि प्रदर्श पीडब्लू-11/ए में उन शब्दों को पढ़ा जा सकता है जिससे अनुबंध में लिखा गया है। उस प्रदर्श को लिखे जाने की तारीख को लाजवंती पीछे हट जाती है, तो कौशल्या देशी कुल प्रतिफल के आधे हिस्से के लिए अपना आधा हिस्सा अपीलार्थी को बेच देंगी। यह कहना मुश्किल लगता है कि जवाब अनिवार्य रूप से सकारात्मक होना चाहिए। एक स्पष्ट और असंदिग्ध अनुबंध से पहले, लागू किए जाने की शर्तों पर, प्रदर्श पीडब्लू-11/ए। की भाषा से बाहर लिखा जा सकता है, बहुत सारे आई को बिंदीदार किया जाना है और टी को पार किया जाना है।

किसी संविदा का विनिर्दिष्ट निष्पादन उसकी शर्तों और शर्तों के अनुसार संविदा का वास्तविक निष्पादन है, और न्यायालय अपेक्षित रूप से पार्टी को वही काम करने का निर्देश दें जो करने के लिए उसने संविदा की थी। इसलिए अनुबंध की शर्तों और शर्तों को निश्चित होना चाहिए और दोनों पक्षों के बीच आम सहमित समान मानस से होनी चाहिए। अनुबंध की शर्तों और शर्तों को दिखाने का भार और यह कि साबित करने का भार निश्चित रूप से वादी पर है। यदि शर्तें और शर्तें अनिश्चित हैं, और पक्षकार विशिष्ट नहीं हैं, तो कोई विनिर्दिष्ट निष्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई संविदा नहीं थी। जहां बातचीत होती है, न्यायालय को यह निर्धारित करना होता है कि किस बिंदु पर, यदि विकल्प भी हो, तो पक्षकार समझौते पर पहुंच गए हैं। यदि समझौता रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद बातचीत भी महत्वपूर्ण होगी।

विनिर्दिष्ट निष्पादन में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विवेकीय है। फ्राई द्वारा लिखित विनिर्दिष्ट निष्पादन 6 वीं संस्करण पी. 19 में कहा है।

" विनिर्दिष्ट निष्पादन में अधिकार क्षेत्र के संबंध में अक्सर एक अवलोकन किया जाता है जिस पर ध्यान आकर्षित किया जाना अपेक्षित है। कहा जाता है कि यह न्यायालय के विवेकाधिकार में है। इस प्रस्ताव का अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से एक संविदा की पालना करें और दूसरे का पालन करने से इकार करें, लेकिन यह कि न्यायालय वादी के आचरण और संविदा के

बाहर की परिस्थितियों को ध्यान में रखता है, और मात्र यह तथ्य कि एक वैध संविदा अपने आप में निश्वयात्मक रूप से वादी के पक्ष में नहीं है। अगर प्रतिवादी, प्लूमर वी.सी. ने कहा कि प्रतिवादी कोई भी परिस्थिति दिखा सकता है जिसके बिना, लेखन से स्वतंत्र, जिससे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप करने के लिए असमान निष्पादन, समता का न्यायालय, जिसमें संतोषजनक जानकारी हो उस विषय पर समझौता, हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

लेखक आगे कहता है कि इस विवेकाधिकार के प्रयोग की मांग करने वाली परिस्थितियों के बारे में, "न्यायालय निर्धारित और निश्चित नियमों द्वारा न्याय करता है; इसलिए विवेकाधिकार को मनमाना या मनमौजी नहीं बिल्क न्यायिक कहा जाता है; इसलिए, यह भी, यदि संविदा किसी सक्षम पक्षकार द्वारा किया गया है, और इसकी प्रकृति और परिस्थितियों में आपत्तिजनक नहीं है, तो विनिर्दिष्ट निष्पादन निश्चित रूप से उतना ही सामान्य मामला है, जैसे कि अधिकार और मुआवजा पाने का अधिकार परिणामों की केवल कठिनाई न्यायालय के विवेक को प्रभावित नहीं करेगी।

अधिकार क्षेत्र के विस्तार के बारे में फ्राई ने लिखाः

"यदि कोई संविदा की जाती है और एक पक्षकार द्वारा उसके निष्पादन में त्रुटि की जाती है जिससे दूसरे पक्षकार को

परिणामतः चुनाव करने का अधिकार उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में या तो संविदा का वास्तविक निष्पादन के लिए बल दिया जा सकता है या उसके गैर निष्पादन पर संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि इससे इस प्रकार है कि न्यायशास्त्र की एक पूर्ण प्रणाली को हर प्रकार एवं वर्ग के संविदा के वास्तविक निष्पादन को लागू करना और वर्ग, केवल तभी जब ऐसी परिस्थितियां हों जो इस तर्क के प्रवर्तन को अनावश्यक या अनावश्यक बनाना, और कि यह माना जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुबंध विशिष्ट है जब तक इसके विपरीत नहीं दिखाया जाता है तब तक प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। लेकिन इतना व्यापक ऐसा माना जाता है कि किसी प्रस्ताव पर कभी भी किसी ने जोर नहीं दिया है। चांसरी न्यायालय के न्यायाधीशों या उनके उच्चाधिकारियों का न्याय के उच्च न्यायालय में, हालांकि, भविष्यवाणी थी एक कानून लेखक का कार्य, यह सुझाव दिया जा सकता है कि वे करेंगे इस तरह के नियम के लिए अधिक से अधिक अनुमानितता।"

जैसा कि चिट्टी ने कहा "भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। क्योंकि उपचार का दायरा कई सीमाओं के अधीन रहता है। लेकिन लेखक अधिकार क्षेत्र की सीमा के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम देखता है जिसका लॉर्ड जिस्टिस फ्राई ने समर्थन किया था। लेकिन जहां कोई संविदा नहीं की गई है, वहां किसी भी उदार दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 9 में यह कहा गया है कि अन्यथा जो कि उस अधिनियम में उपबंधित किया गया है कि जहां किसी संविदा में अधिनियम के अध्याय 2 के तहत किसी अनुतोष का दावा किया जाता है, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुतोष का दावा किया जाता है, वह बचाव के रूप में किसी भी आधार का अनुरोध कर सकता है जो संविदाओं से संबंधित किसी भी कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध है। वर्तमान प्रकरण में समान मानस की सर्वसम्मति की कमी के कारण कोई संविदा नहीं होने का कथन प्रतिवादी द्वारा किया गया था।

उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, अपील को खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, निष्कर्ष निकालने से पहले की तरह, हमें अपने सामने चर्चा किए गए कुछ अन्य पहलुओं का उल्लेख करना चाहिए :-

(1) दलीलों के अंतिम चरण में, अपीलार्थी की और से यह तर्क दिया गया था अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पीडब्लू-11/ए का अनुवाद को उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया जो सटीक नहीं है और जो मायावंती को कोल्हूस का मालिक के रूप में नहीं दर्शाता है। हमने निर्देशित किया था कि मूल अभिलेखों की मांग की जानी चाहिए और अपीलार्थी को उसका अनुवाद पेश करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। यह किया गया था लेकिन प्रतिवादी ने यह स्वीकार नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया कि उच्चतम न्यायालय के अनुवादक ने मूल दस्तावेज को गैर पठनीय पाया था और यह याचना की गई थी कि इसका अनुवाद इस न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ता के द्वारा किया जाये जिसे इस भाषा का ज्ञान हो। इस स्तर पर हम यह करने की अनुमति नहीं दे सकते। इस प्रकरण में प्रस्तुत अनौपचारिक अनुवाद प्रदर्श पीडब्लू-11/ए में दर्ज अनुवाद का सुधार करने का दो तरह से प्रयास करता है। सबसे पहले, जहां मायवंती को मालिक के रूप में प्रतिस्थापित करने की मांग की गई उसे विक्रेता के रूप में संदर्भित करके। जहां तक इसका सवाल है, जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया है, भले ही यह मान भी लिया जाए कि मायावंती का उस प्रदर्श में नाम भूलवश था, उसके अलावा भी कई एेसे अनिश्वितता के पहलू हैं जो प्रदर्श पीडब्लू-11/ए की शर्तों को विनिर्दिष्ट रूप से गैर निष्पादनीय बनाती है। दूसरा सुधार अभिवचनों के अंत में एक वाक्य का जोड़ा जाना है- "खरीदार या तो अग्रिम राशि जुर्माने के साथ वापस ले सकता है या उसका पंजीकरण जबर्दस्ती काराया जाए तो इसमें मुझे कोई आपित नहीं होगी।" "यह एक पूरी तरह से नया संस्करण है जिसे हम इस स्तर पर अनुमति नहीं दे सकते जब दूसरे पक्ष द्वारा इसका विरोध किया जाता है। आखिरकार, प्रदर्श पीडब्लू-11/ए में की गई प्रविष्टि जिसे डीड

राईटर रजिस्टर में है उसे पूर्व निर्धारित साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। यह एक साक्ष्य का हिस्सा नहीं था जो सबूत के लिए आवश्यकता के रूप में कानून द्वारा पहले से निर्धारित साक्ष्य बिक्री के लेन-देन का, जैसा कि आकस्मिक साक्ष्य से भिन्न है। लेकिन इसे एक ही समय में मौजूदा परिस्थितियों में बढ़ने की अनुमित नहीं दी जा सकती है।

- (2) हमारे सामने यह बहस की गई कि प्रदर्श पीडब्लू-11/ए के पूर्व भी एक मौखिक समझौता हुआ था। लेकिन इस तरह के मौखिक अनुबंध का सक्ष्य में कहीं उपस्थिति नहीं है और ऐसी ही अनिश्वितता इस प्रदर्श पीडब्लू-11/ए के चारों तरफ घूम रही है। अतः उच्च न्यायालय को मौखिक समझौते के आधार पर विनिर्दिष्ट निष्पादन की डिक्री की पुष्टि नहीं करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (3) हमारे सामने इस बारे में काफी तर्क भी दिए गए थे कि क्या प्रदर्श पीडब्यू-11/ए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्म था। हमने इस बिन्दू को नहीं छुआ है और इस अवधारणा पर आगे बढ़े हैं कि दस्तावेज में प्रविष्टियां-लेखक का रजिस्टर, द्वारा हस्ताक्षरित पक्षों को स्वयं उनके बीच एक समझौते के रूप में माना जा सकता है और जिसका विनिर्दिष्ट निष्पादन चाहा जा सकता है।
- (4) श्री गोपाल सुब्रमण्यम के द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के पूर्व में दिये गये अवलोकनों के विरूद्ध

प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-11/ए के सन्दर्भ में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिये गये जो कि अग्राह्य थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों में कुछ हद तक अस्पष्टता है परन्तु सम्पूर्ण रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने पर हम श्री नरीमन द्वारा किये गये अभिवचन को स्वीकार करना सही समझते हैं। जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रदर्श को इस न्यायालय के निर्देशों के आलोक में इसका मूल्यांकन किया गया है जिसमें कहा गया था कि "पूर्ण प्रभाव दिया जाएगा प्रविशिष्ट; अधिक नहीं" और इसे अग्राह्य कहकर अस्वीकार नहीं किया जाएगा जैसा कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद किया गया। हमने इन पहलूओ का इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि अधिवक्ताओं द्वारा इन बिन्द्ओं पर बहस के दौरान काफी जोर दिया गया था। परन्तु हमारे द्वारा लिये गये निष्कर्ष जो प्रदर्श पीडब्लू-11/ए के प्रभाव एवं दायरे के बारे में है, यह अनावश्यक है कि उन बिन्द्रओ पर और विस्तार से विचार करें या कुछ अन्य बिंदुओू पर जो हमारे सामने आग्रह किये गये हैं उन पर फैसला दें।

पूर्वगामी कारणों से हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं हैं कि इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य कोई वैध या लागू कराये योग्य संविदा नहीं है। जैसा कि प्रदर्श पी.डब्लू-11/ए से परिलक्षित है। परिणामत: यह अपील विफल मानी जाती है और खारिज की जाती है। लेकिन मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के तहत लागत के रूप

में किसी भी आदेश के बिना, अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो उन्हें रिक्त माना जाए।

याचिका खारिज की जाती है।

"यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरूण कुमार बेरीवाल, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्धेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।